

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र)
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
निजाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन (8वां तल)
234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता -700020

Government of India
Staff Selection Commission (ER)
Ministry of Personnel, Public Grievances &
Pensions, Nizam Palace, 1st M.S.O. Building
(8th Floor), 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata
- 700020

सूचना

विषय: चरण-XIII/2025/चयन पद के अंतर्गत पद श्रेणी ER16025 के तहत, अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रयोगशाला सहायक के पद हेतु भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों की अंतिम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सूची; कुल 02 रिक्ति (02-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), वेतन स्तर-01, समूह-'सी' (गैर-तकनीकी)-संबंधी।

विज्ञापन सूचना में उल्लिखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती से संबंधित अन्य प्रासंगिक नियम एवं शर्तों के आधार पर, चरण-XIII/2025/चयन पद के अंतर्गत पद श्रेणी संख्या ER16025 के माध्यम से विज्ञापित अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रयोगशाला सहायक पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की जांच की गई। उक्त जांच के उपरांत अभ्यर्थियों की प्रारंभिक संवीक्षा स्थिति दिनांक 29.07.2026 को कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र) की वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा अभ्यर्थियों को उनकी अनर्हता/अस्वीकृति के आधार के संबंध में, यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो उसे दिनांक 08.08.2026 को रात्रि 11:00 बजे (23:00 घंटे) तक प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा विचार किया गया तथा समुचित परीक्षण एवं विचारोपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम "अंतिम आवश्यक योग्यता स्वीकृत सूची में सम्मिलित किए गए हैं:

Sl. No.	Registration No.	Roll No.	Name of Candidate	Category
1.	10005838201	3011100877	MONU KUMAR	EWS
2.	10018262897	3206122655	SUGANDH KUMAR	EWS

2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि इस सूची में नाम सम्मिलित किए जाने मात्र से उनकी पात्रता पूर्णतः सुनिश्चित नहीं हो जाती है। अभ्यर्थियों को उपयोगकर्ता विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथासमय दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा।

आदेशानुसार
क्षेत्रीय निदेशक
कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र)